

5

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का मसारी वनाम रामो ड। ० मुंशी जोशी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 धलआर एक्ट

मसारी

निर्णय दिनांक :- 26-3-19

प्रकरण संख्या :- 43/2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि राम मसारी

की आ.ख.न. 1156 कुल रकमा 1.75 किस्म जमीन गैंगुप्पारकर में से 0.01

रकमे पर की 1.75 रामो ड। ० मुंशी जोशी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर

मिनोकाम कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 22/6/18

बनाकर को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव

भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिक्रमी रामो ड। ० मुंशी जोशी निवासी मसारी को भू.

राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील

कराई गई। नोटिस याद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकमे का आ.ख.न. 1156 रकमा 1.75 में से 0.01

रकमे किस्म गैंगुप्पारकर है जो नियम के योग्य नहीं है किहाजा सौरसाथम को अतिक्रमित

रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिने जाते हैं एवं वण्ड स्वरूप जमान 6 pais का

50 गुणा 3/4 रकमे पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु सीआरए को लिखा

जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी मसारी भू.अ.निरी. दरौदा

को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल तत्पर हो। निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (जिलवर) राज

अतिरिक्त :- प. द.